न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 41/2015 **दायरा दिनांक : 02.03.2015**

उनवान

मोहन लाल पुत्र मोतीलाल, जाति मेघवाल, निवासी किशनंगज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— भंवर सिंह पुत्र गेंदीलाल, जाति कोली, निवासी किशनंगज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— शफीक मोह0 पुत्र नूर मोह0, जाति मुसलमान, निवासी किशनंगज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— मोतीलाल पुत्र देवीलाल, जाति भोई, निवासी किशनंगज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4— बाबूलाल पुत्र कल्याण, जाति माली, निवासी अमलावदा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5— घनश्याम पुत्र रामगोपाल, जाति लोधा, निवासी हीरापुर, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6— लितरू पुत्र गणेशराम, जाति चमार, निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

7— गणेशराम पुत्र डालूराम, जाति चमार, निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

8— रामकली पत्नी पप्पू, जाति चमार, निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

9— जानकीबाई बेवा नारायण, जाति चमार, निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

10— लटूर पुत्र रतना, जाति चमार, निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

11— फागू पुत्र राधेलाल, जाति चमार, निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

12— बिस्सोबाई पत्नी कासम, जाति मुसलमान, निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बृजराजकिशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.02.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या — 169/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम किशनगंज में आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 14 बिस्वा स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में वादी के खाते में दर्ज है । सन् 2010 में वादी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण ने वादी के खाते की

विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया, नींव खोद दी और रिहायशी मकान बना लिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । प्रतिवादीगण से निर्माण कार्य रोकने और कब्जा छोडने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जाये और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.05.2014 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेंटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11 पेश कर यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर उनका 30 – 40 साल से कब्जा है । मकान बने हुए हैं । वादी का दावा बेरून मियाद है । अतः दावा वादी खारिज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा खारिज किया है जो विधि विरूद्ध है । वादी का दावा बेरून मियाद नहीं है, अन्दर मियाद है । मौखिक साक्ष्य के आधार पर 30–40 साल पुराना कब्जा मान लिया है । वादी का दावा 7 नियम 11 के तहत खारिज होने योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को बेरून

मियाद मानते हुए आर्डर 7 नियम 11 के तहत खारिज किया है जबकि यह प्रश्न साक्ष्य के आधार पर तय होगा । आर्डर 7 नियम 11 के तहत दावा तभी खारिज किया जा सकता है जब दावे को पढ़ने से दावे में अंकित तथ्यों के अनुसार दावा चलने योग्य नहीं हो । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 खाता संख्या नया 64 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी वादी के खाते में दर्ज है । नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रति एवं खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली पर सलंग्न है ।

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11 पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया है कि उनके मकान 30–35 वर्ष से बने हुए हैं । वादी का दावा बेरून मियाद है । ग्राम पंचायत ने पट्टे भी जारी किये हैं । अतः दावा निरस्त किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा खारिज किया है । आर्डर 7 नियम 11 के तहत दावा तभी खारिज किया जा सकता है जब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर दावा चलने योग्य नहीं हो न कि जवाबदावे अथवा प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का 30–35 वर्षों से कब्जा है अथवा नहीं । वादी का दावा बेरूने मियाद है अथवा नहीं । यह बिन्दु साक्ष्य के आधार पर तय किये जा सकते हैं न कि आर्डर 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के आधार पर । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी आर्डर 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज कर विधिक त्रुटि की है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2014 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा